मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/6129 /NR-1/17/2010 भोपाल, दिनांक 17 जून, 2010

प्रति,

कलेक्टर /जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – दतिया, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ, दमोह ।

विषयः **बुंदेलखण्ड पैकेज अंतर्गत प्राप्त (ACA) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि के वित्तीय प्रबन्धन के विषयक।**

---

1. भारत सरकार द्वारा बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे का प्रभाव कम करने एवं क्षेत्र के संमन्वित विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस पैकेज के अंतर्गत दतिया, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ ओर दमोह में निर्देशित योजनाओं– में कार्यवाही की जानी है।

   बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त पैकेज की कार्यान्वयन अवधि 2009–10 से 2011–12 रखी गई है। इन्ही वित्तीय वर्षों में राशि व्यय की जाना है।

2. <u>क्रियान्वयन एवं एजेंसी –</u>

   बुन्देलखण्ड पैकेज में प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि का व्यय वर्तमान में केवल दो उपयोजनाओं में किया जाना है।

   (i) मनरेगा अंतर्गत निर्मित कपिलधारा कुएं पर सिंचाई सुविधा हेतु डीजल विद्युत पम्प प्रदान करना क्रियान्वयन एजेंसी म.प्र. सहकारी विपणन संघ मर्यादित(मार्कफेड)/ म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड(एम.पी.एग्रो) रहेंगी। इसके विस्तृत दिशा–निर्देश परिषद से जारी किए जा रहें है।

   (ii) श्रृंखलाबद्ध स्टाप डेम का निर्माण, करना क्रियान्वयन एजेंसी आर.ई.एस. रहेंगी। इसके विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा जारी किए जा चुके है।

3. **कार्यक्रम का क्रियान्वयन –**

3.1 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये इस पैकेज के अंतर्गत कराये गये कार्य, व्यय राशि, उपलब्ध रोजगार दिवस आदि का विवरण ग्राम पंचायत/कार्यस्थल के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा।

3.2 संबंधित उपयंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, प्रबंधक, ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत समन्वय अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उपरोक्त व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करायें।

4 **राशि का प्रवाह :–**

4.1 राज्य रोजगार गारंटी निधि, भोपाल के द्वारा प्रत्येक जिले को बिन्दु कमांक–8 अनुसार राशि जारी की गई है, जिसका संधारण जिला स्तर पर MGNREGS-MP के अन्तर्गत बैंक खाते में किया जाना है तथा समय–समय पर राशि केन्द्र शासन से प्राप्त होने पर जारी की जा सकेगी।

4.2 किसी भी परिस्थिति में इस पैकेज की राशि अन्य कार्यो में व्यय नही की जायेगी। उक्त राशि संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को ही प्रदान की जाएगी।

5. **लेखा संधारण व्यवस्था –**

5.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा परिषद् मुख्यालय से राशि प्राप्त होने पर जिले के योजनान्तर्गत बचत खाते में जमा की जायेगी।

5.2 उक्त राशि को जिला स्तर पर पृथक से खाता बही (लेजर) में संधारित किया जायेगा, एवं स्पष्ट लेखांकन नियमानुसार किया जावेगा।

5.3 किसी भी स्थिति में जिला स्तर पर उक्त राशि को योजनान्तर्गत आवटन में न जोड़ा जाये, अर्थात् उक्त राशि को योजना की राशि कदापि न माना जाये।

5.4 जिला स्तर से उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति की स्थिति पर 10 अप्रैल तक बनाकर परिषद् मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

5.5 यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना है कि जिला पंचायत, क्रियान्वयक एजेंसी में इस पैकेज की राशि हेतु कोई भी खाता पृथक से न खोलते हुये MGNREGS-MP से संबंधित नियमानुसार वर्तमान प्रचलित खातें में ही राशि जमा की जायेगी एवं व्यय की जायेगी व्यय का लेखांकन पृथक से रखा जायेगा।

5.6 इस पैकेज के अंतर्गत प्राप्त राशि के निर्धारित उद्देश्य में व्यय हेतु जिलें द्वारा निरंतर सूक्ष्म समीक्षा की जायेगी।

6. **पर्यवेक्षण तथा पारदर्शिता –**

6.1 सामाजिक अंकेक्षण, सूचना पटल पर जानकारी का प्रदर्शन, सूचना का अधिकार, ग्राम पंचायत भवन पर जानकारी का प्रस्तुतिकरण आदि पारदर्शिता संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

6.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जावेगी तथा प्रत्येक माह विस्तृत विवरण परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराया जावेगा।

7. **अंकेक्षण**

7.1 इस पैकेज के अंतर्गत प्रदाय की जा रही राशि के संबंध में लेखे आदि अंकेक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर संदेधानिक – महालेखाकार आडिट एवं अन्य संस्थागत आडिट ऐजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

8. बुन्देलखण्ड पैकेज के अतंर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का जिलों में निम्नानसुार आवंटन किया गया है:–

Allocation of ACA fund in Bundelkhand Dist

S.No	District	Alloted Fund (Rs In crore)		Total
1	Datiya	6.15	2.339	8.489
2	Sagar	17.96	6.822	24.782
3	Damoh	11.04	4.193	15.233
4	Panna	9.39	3.567	12.957
5	Chattarpur	14.43	5.484	19.914
6	Tikamgarh	12.43	4.720	17.150
	Total	71.40	27.125	98.525

(i) आवंटित राशि का निम्नलिखित मदों मे ही उपयोग किया जाये, क्योकि भारत सरकार से मदवार ही आवंटन प्राप्त हुआ है। मदवार आवंटित राशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाएं।

राशि रू. लाख में

क्र.	जिला	आवंटित राशि	कपिल धारा कुएं पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यय की जाने वाली राशि	स्टाप डेम निर्माण पर व्यय की जाने वाली राशि
1	सागर	2478.20	580.92	1897.28
2	दमोह	1523.30	774.55	748.75
3	पन्ना	1295.70	936.98	358.72
4	छतरपुर	1991.40	1574.43	416.97
5	टीकमगढ़	1715.00	1183.41	531.59
6	दतिया	848.90	236.73	612.17
	कुल योग	**9852.50**	**5287.01**	**4565.49**

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जावे।

संलग्न :– कपिल धारा कुंए पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने बाबत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र/ 6130 /NR- 1/17/2010 भोपाल, दिनांक 17 जून, 2010

प्रतिलिपि :—

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, योजना विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3- विकास आयुक्त विंध्याचल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- संभाग आयुक्त, ग्वालियर एवं सागर संभाग .... की ओर सूचनार्थ। कृपया पाक्षिक आधार पर उपरोक्त कार्यो की समीक्षा करने का कष्ट करें।
5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दतिया, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ ओर दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग